कार्यालय, ग्राम-पंचायत गोल्लागुड़ा

कार्यवाही बैठक की नकल

दिनांक 03/12/2020

विकास खण्ड भोपालपटनम तहसील भोपालपटनम जिला बीजापुर

सत्य प्रतिलिपि

क्रमांक	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
1	रमेश कामसोई (सरपंच)	कागज कारखाना के लिए भूमि आवंटन के सम्बंध में।	आज दिनांक 07/10/2020 को कार्यालय ग्राम पंचायत गोल्लागुड़ा में विशेष बैठक रखा गया जिसमें सरपंच पंचगण एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे, इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत के अन्तर्गत ग्राम मरीगुड़ा की भी नक्शा, खसरा न० 71 कुल रकबा 37.125 हेक्टेयर भूमि कागज कारखाना के लिये चिन्हांकित किया गया है। ग्राम पंचायत गोल्लागुड़ा को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।	यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया है।	सही
2	कमला लक्ष्मी (उपसरपंच)				
3	अनिता सोन्ना (पंच)				
4	सुरला महेश (पंच)				
5	बकैया आत्राम (पंच)				
6	सुरेखा वाडेकर (पंच)				
7	लक्ष्मी कामसोई (पंच)				
8	सुनिता कुड़ियम (पंच)				
9	लक्ष्मी सहारे (पंच)				सही

क्रमांक 55 दिनांक 03/12/2020

सचिव
ग्राम पंचायत गोल्लागुड़ा
जनपद पंचायत भोपालपटनम
जिला-बीजापुर (छ.ग.)

सरपंच
रमेश कामसोई
ग्राम पंचायत गोल्लागुड़ा
जनपद-भोपालपटनम
जिला बीजापुर (छ.ग.)

ग्राम पंचायत गोल्लागुड़ा

//कार्यालय तहसीलदार भोपालपटनम जिला–बीजापुर (छ0ग0)//

अनापत्ति–पत्र

क्रमांक/236/तह./री–1/2020 भोपालपटनम दिनांक 29/12/2020

प्रति,

कलेक्टर महोदय

(भू–अभिलेख शाखा)

जिला–बीजापुर

विषयः– कागज कारखाना हेतु चयनित भूमि का अनापत्ति पत्र प्रेषण बावत्।

संदर्भः– कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख) जिला बीजापुर के पत्र कमांक–963/कले./भूअ/रा.नि.व.लो./2020 बीजापुर दिनांक 29.12.2020 तथा महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बीजापुर कमांक/जिव्याउके–बीजा/भू–अर्जन/2019/568 बीजापुर दिनांक 24.12.2020

--:: 00 ::--

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत तहसील भोपालपटनम के अन्तर्गत ग्राम मर्रीगुडा ग्राम पंचायत गोल्लागुडा पटवारी हल्का नम्बर–14/गोल्लागुडा में स्थित भूमि खसरा नम्बर–71 कुल रकबा–39.124 हेक्टेयर बडे झाड जंगल मद को कागज कारखाना की स्थापना हेतु चयन किया गया है। भूमि का आक्षांश 18°50'26.46'' देशांश 80°22'00.81'' है।

चयनित भूमि राजस्व अभिलेखानुसार बडे झाड जंगल मद की भूमि है तथा वन विभाग के अभिलेखो के अनुसार परिक्षेत्र भोपालपटनम के अन्तर्गत आरक्षित वन कम्पाटमेंट नम्बर– 832 में है। चयनित भूमि में किसी व्यक्ति अथवा किसी संस्था द्वारा वन अधिकार मान्यता पत्रक के लिए दावा नहीं किया गया है। और इस भूमि में पूर्व में किसी व्यक्ति या संस्था को वन अधिकार आबंटित नहीं हुआ है। उक्त भूमि में किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल व निर्माण नहीं है। प्रास्तवित भूमि का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्तानुसार कागज कारखाना के लिए चयनित भूमि के संबन्ध में इस कार्यालय को आपत्ति नहीं है।

तहसीलदार

भोपालपटनम

Scanned with CamScanner

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख), जिला–बीजापुर (छ.ग.)

क्रमांक /977/ कले. / भू.अ. / रा.नि.व.लो. / 2020 बीजापुर, दिनांक 02 / 1. / 2021

–:: अनापत्ति प्रमाण पत्र ::–

छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप कागज कारखाना की स्थापना हेतु जिला बीजापुर, तहसील भोपालपटनम, प.ह.नं. 14 गोल्लागुड़ा, ग्राम पंचायत गोल्लागुड़ा के ग्राम मर्रीगुड़ा के खसरा नंबर 71, कुल रकबा 39.124 हेक्टे. बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि को चयन किया गया है। भूमि का अक्षांश 18º50'26.46" देशांश 80º22'00.81" है।

चयनित भूमि राजस्व अभिलेख अनुसार बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि है तथा वन विभाग के अभिलेखों के अनुसार परिक्षेत्र भोपालपटनम के अंतर्गत आरक्षित वन कम्पार्टमेंट नम्बर 832 में है। चयनित भूमि में किसी व्यक्ति अथवा किसी संस्था द्वारा वन अधिकार मान्यता पत्रक के लिए दावा नहीं किया गया है और न ही उक्त भूमि में पूर्व में किसी व्यक्ति या संस्था को वन अधिकार मान्यता पत्रक आबंटित हुआ है। उक्त भूमि में किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल व निर्माण नहीं है।

अतः उक्त भूमि में कागज कारखाना की स्थापना किये जाने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

कलेक्टर
जिला बीजापुर (छ.ग.)